

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/अ0-03-03/2015

पटना, दिनांक—

श्री विजय कुमार आजाद, राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-24.12.2024 से 15.01.2025 तक कुल 23 (तेईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री आजाद के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-23=277) (दो सौ सतहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

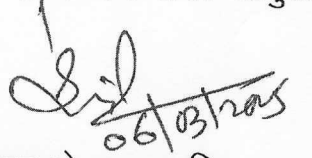
वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/अ0-03-03/2015 1161

पटना, दिनांक— 07/03/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विजय कुमार आजाद, राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।